



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2017/फाल्गुन 10, 1938

No. 613]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUNA 10, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2017

का. आ. 683(अ).- जबकि सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं अथवा सहायकियों को प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी परिदान की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इसमें पारदर्शिता आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना किसी कठिनाई के अपनी पात्र सुविधाओं को सीधे प्राप्त करने में सुविधा होती है तथा आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने हेतु बहुविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है;

तथा जबकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् मंत्रालय कहा जाएगा), भारत सरकार केंद्रीय सेक्टर की निम्नलिखित योजनाओं (जिन्हें इसके पश्चात् योजनाएं कहा जाएगा) के तहत योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रों एवं उद्यमियों (जिन्हें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा जाएगा) के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त ऋण, ब्याज आर्थिक सहायता या प्रत्याभूतियों (जिन्हें इसके पश्चात् लाभ कहा जाएगा) के रूप में सहायता प्रदान कर रही है :-

- (i) अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ओवरसीज अध्ययनों हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अम्बेडकर योजना;
- (ii) अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि;
- (iii) अनुसूचित जातियों के युवा तथा स्टार्ट-अप उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना;

तथा जबकि, उपर्युक्त योजनाओं का कार्यान्वयन मंत्रालय के नोडल बैंक या एजेंसी के रूप में कार्यरत बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं (जिन्हें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसियां कहा जाएगा) के माध्यम से किया जाता है;

तथा जबकि, उपर्युक्त योजनाओं के लिए किया गया व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है।

अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामतः-

1. (1) कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रस्तावित योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण कराएं।

(2) योजनाओं के तहत लाभों को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है अथवा जिनका अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं हुआ है, से एतद्वारा यह अपेक्षित है कि वह **30 जून, 2017** तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करे, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) (www.uidai.gov.in) पर सूची उपलब्ध है] में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों जिसे व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत करना अपेक्षित है, से यह अपेक्षित है कि उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करें जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तथा संबंधित प्रखंड या तालुक या तहसील में किसी आधार नामांकन केन्द्र के नहीं होने की स्थिति में, मंत्रालय, इसके कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, से यह अपेक्षित है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर अथवा यूआईडीएआई का स्वयं पंजीयक बनकर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराएं :

बशर्ते कि उस समय तक जब लाभार्थियों को आधार सौंपा जाता है, तब तक निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन ऐसे लाभार्थियों को इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा, नामतः-

- (क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या
- (ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और
- (ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या
- (ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; अथवा
- (iii) राशन कार्ड, अथवा
- (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा
- (v) पासपोर्ट; अथवा
- (vi) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या
- (vii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

बशर्ते यह भी कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के तहत लाभार्थियों को सुविधाजनक एवं बिना किसी कठिनाई के लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा, नामतः -

- (क) योजनाओं के तहत आधार की अपेक्षा के बारे में लाभार्थियों को अवगत करने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो **30 जून, 2017** तक अपने क्षेत्रों के समीपवर्ती नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए तथा उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (www.uidai.gov.in) पर सूची उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।
- (ख) यदि, योजनाओं के लाभार्थी अपने निवास के समीप यथा-प्रखंड अथवा तालुक अथवा तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं, यह अपेक्षित है कि मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा लाभार्थियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे, कार्यान्वयन एजेंसी के संबंधित कार्मिक के पास अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथा-विनिर्दिष्ट अपने नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन हेतु अपना अनुरोध पंजीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 14016/2/2017-डीबीटी]

आइन्दी अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2017

S.O.683(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as Ministry), Government of India is providing assistance in the form of subsidized loans, interest subsidy or guarantees (hereinafter referred to as benefits) for students and entrepreneurs (hereinafter referred to as beneficiaries) as per scheme guidelines under the following Central Sector Schemes (hereinafter referred to as Schemes):

- i. Dr Ambedkar Scheme of Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies for OBC and EBC Students;
- ii. Venture Capital Fund for Scheduled Caste Entrepreneurs;
- iii. Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and Start-Up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes;

And whereas, the aforementioned Schemes are implemented through Banks or Financial Institutions acting as Ministry's nodal banks or agencies (hereinafter referred to as Implementing Agencies).

And whereas the aforesaid Schemes involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An eligible individual desirous of availing the benefits under the Schemes offered through Implementing Agencies is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefit under the Schemes, who does not possess an Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to apply for Aadhaar enrolment by **30th June 2017**, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry, through its implementing agencies, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry, through its implementing agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, benefits under the Schemes shall be given to such beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:—

- (a) (i) if she/he has enrolled, her/his Aadhaar Enrolment ID slip; or
 - (ii) a copy of her/his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and
- (b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card, or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) any other documents specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the schemes, the Ministry through its implementing agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:—

- (a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by **30th June, 2017**, in case they are not already

enrolled and the list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries of the Schemes are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its implementing agencies is required to facilitate Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number with other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the implementing agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 14016/2/2017-DBT]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.